



22
26

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० क्वालियर

2000 के 8000
17-3-16

प्रकरण कमांक

12016 पुनरीक्षण

मैग-941-11-16

1. राघवेन्द्रसिंह पुत्र स्व० श्री मोहनसिंह
2. श्यामबहादुरसिंह पुत्र स्व० श्री मोहनसिंह
3. घनश्यामसिंह पुत्र स्व० श्री मोहनसिंह

समस्त निवासीगण- ग्राम पेकन गांव, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र० —आवेदकगण

बनाम

1. दुर्गविजयसिंह पुत्र श्री धर्मराजसिंह
2. रणविजयसिंह पुत्र श्री धर्मराजसिंह निवासीगण-ग्राम पेकन गांव, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र० — अनावेदकगण


पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 16/02/2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 03/ए-27/08-09 व उनवान राघवेन्द्रसिंह आदि बनाम दुर्गविजयसिंह आदि।

माननीय महोदय,

M

माननीय महोदय

S.K. Sharma



37
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R941-II/16

जिला-रीवा

राघवेन्द्र सिंह वगैर/ दुर्गा विजय सिंह

(1)	(2)	(3)
5.8.19 Aul.	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 03/अ-27/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	